केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

कर्नाटक सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत

सं .4/77-78 दिनांक 7 अप्रैल 1977 देखिए

सी पी आर आई सोसाइटी के

संगम ज्ञापन, नियम एवं विनियम, उपविधि तथा कार्य नियम सं 1 व कार्य नियम सं .2

(6/6/2017 तक संशोधित)

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान

पो.बा.सं.8066, प्रो. सर सी.वी.रामन रोड

बेंगलूर 560 080

टेलीफोन सं. 080-23601442, 23600921, 23600825

फैक्स: 080-23601213, 23602277

विषयवस्तु

पृष्ठ सं

भारत सरकार का संकल्प

पंजीकरण प्रमाणपत्र

संगम ज्ञापन

नियम तथा विनियम

परिभाषा

सोसाइटी का गठन

सोसाइटी के प्राधिकारी

शासी परिषद्

शासी परिषद् के कार्य व अधिकार

अध्यक्ष के अधिकार

महानिदेशक के कार्य व अधिकार

सोसाइटी की निधि

वार्षिक रिपोर्ट

उपविधि

प्रशासन तथा विधि

वित्त तथा लेखा

सामान्य

अधिसूचना

कार्य नियम सं. 1

सी पी आर आई वेतन, भर्ती व पदोन्नति नियमावली 1989

भाग I (जो अनुसंधान, परीक्षण व अनुरक्षण कार्य में कार्यरत हैं)

वर्ग I (क) - वैज्ञानिक /इंजीनियरी अधिकारी

वर्ग I (ख) - वैज्ञानिक प्रबन्धन ग्रेड़

वर्ग II - वैज्ञानिक /इंजीनियर

वर्ग III - अनुसंधान, परीक्षण व अनुरक्षण से सम्बन्धित सहायक तकनीकी कार्मिक

वर्ग IV - तकनीकी परिचर

भाग - II - (प्रशासन, वित्त इत्यादि)

वर्ग क - अधिकारीगण

वर्ग ख - कर्मचारीगण

वर्ग ग - चालक , रसोइया - व -रखवाला

वर्ग घ - अधीनस्थ स्टाफ

<u>चयन / भर्ती व पदोन्नति समिति</u>

वर्ग I (क) से वर्ग II तक

वर्ग III व IV

गैर तकनीकी स्टाफ के लिए भर्ती व पदोन्नति नियमावली

गैर तकनीकी स्टाफ के लिए चयन/भर्ती व पदोन्नति समिति

परिशिष्ट I से VIII तक

भारत सरकार
ऊर्जा मंत्रालय
विद्युत विभाग

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर 1975

संकल्प

सं.33(14)/74-नीति/ई.एल.I भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान और स्विचगियर परीक्षण तथा विकास केंद्र, भोपाल की कार्यप्रणाली के पुनरवलोकन हेतु एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य संस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति की सफलता का मूल्यांकन करना और साथ ही पाँचवीं व परवर्ती पंचवर्षीय योजना के प्रभावशाली विद्युत विकास कार्यक्रम (संकल्प सं.33{14}/74-नीति), दिनांक 21 अक्तूबर 1974 के संदर्भ में संस्थान के परवर्ती विकास का मार्गदर्शन करना था। 3 जून 1975 को समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की |

2. सरकार ने समिति की सिफ़ारिशों पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के शर्तों पर उन सिफ़ारिशों को स्वीकारने का निर्णय लिया है |

   i. शासी परिषद् के व्यापक नियंत्रण, पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन के अधीन सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में केंद्गीय विद्युत अनुसंधान संस्थान का पुनर्गठन करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान के कार्यक्रमों व क्रियाकलापों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड़, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण व ऊर्जा मंत्रालय अवश्य शामिल हों। संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों में मार्गदर्शन देने के लिए और विद्युत आपूर्ति उद्योग द्वारा अनुसंधान के परिणामों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रभावी पात्र होना चाहिए।

   ii. समिति द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान का विकास रुपित हों और साधनों की समय समय पर प्राप्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए अग्रता आधार के पूर्ण विकसित योजना के अनुसरण में ये कार्यक्रम सुविधाजनक अवस्थाओं में लिए जाएँ ।

   iii. विरल स्रोतों की अनुकूलतम उपयोगिता युक्त यौक्तिक अनुसंधान व विकास नीति यह माँग करती है कि प्राथमिकताओं की सतर्क रूप रेखा प्रस्तुत किया जाए और नकलकारी क्रियाकलाप से बचे रहे। विद्युत क्षेत्र के विभिन्न खंडों में अनुसंधान प्रयासों को सावधानी से पहचाना जाए और यथावश्यक उसे प्रायोगिक अभिविन्यास दिया जाए।

   iv. विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों में संलग्न विभिन्न संगठनों और उपस्कर निर्माताओं के बीच समन्वयन, पुनर्निवेश और अन्योन्यक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्थाएँ हों ।

   v. कार्मिक नीतियों से संबंधित सिफारिशों का सावधानी से अध्ययन किया जाए। इससे प्रमाणित योग्यता के पर्शिवक प्रवेश को उपलब्ध कराना उपयोगी होगा ।

3. समिति को उसके किए गए काम के लिए और एक उपयोगी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए, जो वास्तव में,केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के विकास के लिए सापेक्ष महत्व रखने वाली रूप रेखा है, भारत सरकार अपनी गहन प्रशंसा व्यक्त करना चाहती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन और अन्य सभी संबंधितों को भेजा जाए |

ह/-

(ओतिमा बोर्डिया)

निदेशक (विद्युत)

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार का प्रेस, फरीदाबाद

प्रति अग्रेषित :

1 . समिति के सदस्य

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य

3. निदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर

(भारत सरकार के राजपत्र भाग I, खंड I में प्रकाशित)

पंजीकरण प्रमाण पत्र

प्रपत्र सं . 14

पंजीकरण प्रमाण पत्र

क्रम सं. 4/77-78

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कर्नाटक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 (1960 का कर्नाटक अधिनियम सं .17) के अधीन केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी पी आर आई) तुमकूर रोड, बेंगलूर का इस दिन पंजीकरण किया गया ।

प्रदत्त शुल्क पचास रुपए मात्र. . . . .

7 अप्रैल 1977 को बेंगलूर में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया |

एक हज़ार नो सौ तथा सतहत्तर . . .

(बी.वी.सोमशेखर)

कृते पंजीयक कर्नाटक सोसाइटी

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
बेंगलूर
<u>संगम ज्ञापन</u>

1. इस सोसाइटी का नाम केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी पी आर आई) है ।
2. इस सोसाइटी का कार्यालय कर्नाटक राज्य में प्रो. सर सी.वी.रामन रोड़, सदाशिवनगर उप-डाकघर, बेंगलूर - 560 080 में स्थित होगा।
3. सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई हैं :

तकनीकी

i) विद्युत आपूर्ति प्रणालियों के उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का कार्य करने तथा/अथवा प्रायोजित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत अनुसंधान संगठन के रूप में कार्य करना।

ii) विद्युत सामग्री के मूल्यांकन तथा विद्युत उपस्करों के निष्पादन के लिए आवशयक केंद्रीकृत अनुसंधान तथा परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

iii) भारतीय विद्युत प्रणाली में विद्यमान स्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त गुणता के उपस्करों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण तथा निष्पादन के प्रमाणन के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय परीक्षण तथा प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में काम करना।

iv) विद्युत शक्ति के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास का कार्य प्रारंभ करने तथा समन्वित करने के लिए शीर्षस्थ निकाय के रुप में कार्य करना।

v) भारत की परिस्थितियों में प्रचालन हेतु विभिन्न उपस्करों के मानकों के लिए मानदंड तैयार करना तथा राष्ट्रीय मानक विनिर्देशों के निरुपण में कारगर ढंग से भाग लेना ।

vi) आधारभूत तथा अभिविन्यस्त आधारभूत अनुसंधान के क्षेत्रों में समस्याओं का पता लगाना तथा राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं में इस प्रकार के अध्ययन की व्यवस्था करना ।

vii) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों में अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप समन्वित करना तथा विद्युत प्रणाली तथा /अथवा विद्युत उपस्करों से संबंधित अनुसंधान में लगी अन्य संस्थाओं से संपर्क रखना ।

viii) विद्युत इंजीनियरी के क्षेत्र में सूचना एकत्र करना, प्रलेख रखना तथा सोसाइटी के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए कोई लेख, पत्रिका या रिपोर्ट तैयार करना, मुद्गित करना तथा प्रकाशित करना।

ix) देश में विद्युत विकास के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगशालाएँ और कार्यशाला स्थापित करना, उनका रख रखाव तथा प्रबंध करना तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना और आविष्कार अथवा खोजों से लाभ उठाने हेतु प्रयोग संचालित करना ।

x) सोसाइटी का अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम संपन्न करने के लिए किसी उद्यम अथवा संस्था अथवा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के साथ करार स्थापित करना तथा उनके लिए निधि की व्यवस्था करना ।

वित्तीय

xi) सोसाइटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार तथा भारतीय या विदेशी व अन्य स्रोतों से अनुदान तथा अन्य सहायता स्वीकार करना अथवा उनके साथ करार स्थापित करना बशर्ते कि विदेशी संसाधनों के संबंध में भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो |

xii) सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत स्थित कोई भूमि, भवन, उपस्कर तथा चल तथा या अचल संपत्ति को उपहार या विक्रय या विनिमय द्वारा या पट्टे अथवा भाड़े पर या अन्यथा किसी भी प्रकार से अर्जित करना तथा सोसाइटी के लिए आवश्यक किसी भवन का निर्माण करना अथवा उसमें फेरबदल करना।

xiii) सोसाइटी से सम्बद्ध किसी भी संपप्ति को बेचना या पट्टे पर देना या अन्तरित करना या विनिमय करना या बंधक रखना या उसका निपटान करना या अन्यथा उसका सौदा करना बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लिखित रूप में प्राप्त कर ली गई हो ।

xiv) चैक काटना, नोटों अथवा अन्य परक्राम्य लिखितों को तैयार करना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना तथा उन पर बट्टा देना ।

xv) सोसाइटी की जिन निधियों अथवा धन की तत्काल आवश्यकता न हो उन्हें प्रतिभूतियों में अथवा शासी परिषद् द्वारा समय समय पर सुनिश्चित किए गए तरीके से निवेश करना ।

प्रशासनिक

xvi) अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ, शिक्षावृत्तियों को स्थापित कर प्रदान करना ** ।

xvii) सोसाइटी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यावसायिक अथवा तकनीकी सलाहकारों, परामर्शदाताओं या कामगारों को बनाए रखना अथवा नियोजित करना तथा उनके लिए उचित मानदेय, शुल्क या पारिश्रमिकी अदा करना ।

xviii) सोसाइटी की ओर से बातचीत करके संविदा स्थापित करना और ऐसी संविदाओं में परिवर्तन करना तथा उन्हें रद्द करना ।

xix) सोसाइटी में प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा सोसाइटी के नियमों तथा विनिमयों के अनुसार उनकी नियुक्ति करना ।

xx) कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा कल्याण के लिए समुचित उपाय करना ।

xxi) सोसाइटी के कार्य - संचालन के लिए नियम तथा विनियम तथा उपविधि बनाना और भारत सरकार के अनुमोदन से समय समय पर उनमें जोड़ना, संशोधन करना, बदलना अथवा उन्हें रद्द करना।

xxii) ऐसे सभी विधिपूर्ण कार्य विलेख या अन्य कार्य करना जो उपयुक्त किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रासंगिक या सहायक हो ।

xxiii) अनुसंधान तथा संदर्भ पुस्तकालय को बनाए रखना ।

सोसाइटी के कार्यों का प्रबंध सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी परिषद् को सौंप दिया गया है जिसके प्रथम सदस्य निम्नलिखित हैं :-

1 . श्री पी रामचंद्रन — अध्यक्ष
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री
भारत सरकार

नई दिल्ली

2 . श्री वाई टी शाह — उपाध्यक्ष
सचिव
विद्युत विभाग
ऊर्जा मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन , नई दिल्ली

** दो पुरस्कार अर्थात् माइलवराप्पु सुब्बालक्षम्मा पुरस्कार और बीएम नायडू पुरस्कार को 17.11.2009 (67.9) को आयोजित 67 वीं बैठक में और 25.03.2013 (73.4) को आयोजित 73 वें बैठक में शासन परिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है, मंत्रालय पत्र दिनांक एफ सं . 3/31/2009-टी व आर डीटी 24.02.2010 और एफ.सं 3/45/2013-टी व आर डीटी 15.07.2014 के साथ क्रमशः पढा जाए ।

3. श्री के.एल. पुरी — सदस्य
अध्यक्ष
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
बीकनेर हाउस
नई दिल्ली

4. श्री हरिभूषण — सदस्य
तकनीकी सलाहकार व
पदेन संयुक्त सचिव
उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
उद्योग भवन , नई दिल्ली

5 . श्री वी कृष्णस्वामी — सदस्य
वित्तीय सलाहकार
विद्युत विभाग
ऊर्जा मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली

6 . डॉ .जे. गुरुराज — सदस्य
वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
प्रौद्योगिकी भवन, नई दिल्ली

7 . श्री एस. गोविन्दराज — सदस्य
महाप्रबंधक
परियोजना इंजीनियरी प्रभाग
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

कस्तूरबा गांधी मार्ग
नई दिल्ली

8 . श्री वी.आर. नरसिंहन सदस्य सचिव
निदेशक
केन्द्रीय विद्युत अनुसंधन संस्थान
बेंगलूर

5. सोसाइटी की आय तथा संपत्ति का उपयोग चाहे वह जैसे भी प्राप्त की गई हो, उसके ऐसे उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा जो इस संगम ज्ञापन में बताए गए हो बशर्ते कि व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा समय समय पर लगाई गई सीमाओं का पालन हो। सोसाइटी की आय तथा संपत्ति का कोई भी भाग, लाभांश बोनस या अन्य किसी भी प्रकार से लाभ के रूप में ऐसे व्यक्तियों को जो किसी समय सोसाइटी के सदस्य हों या रह चुके हों अथवा उनमें से किसी को अथवा उनके माध्यम से अथवा उनमें से किसी के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से अदा अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा परन्तु इसमें उल्लिखित किसी बात से उसके किसी सदस्य को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा सोसाइटी के प्रति की गई किसी सेवा के बदले पारिश्रमिक के रूप में या सद्भावपूर्वक किए जाने वाले भुगतान पर रोक नहीं लगेगी ।

6. यदि सोसाइटी के परिसमापन अथवा विघटन पर इसके संपूर्ण ऋणों और देयताओं को चुकाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति बचेगी तो वह सोसाइटी के सदस्यों को अथवा उनमें से किसी भी सदस्य को नहीं दी जाएगी अथवा उनके बीच बांटी नहीं जाएगी बल्कि उसका निपटान उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि भारत सरकार निर्धारित करेगी ।

7. हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम तथा पते इसमें दिए गए हैं, सोसाइटी के इस ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी के रुप में गठित होना चाहते हैं तथा ऐसे नियमों के अनुसार सोसाइटी के कार्यों का प्रबंध करने के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानेंगें जिनकी एक प्रति संलग्न है |

8. सचिव सोसाइटी की ओर से बातचीत करने के लिए प्राधिकृत है |

नाम सर्वश्री	**व्यवसाय एवं पता**	**नाम सर्वश्री**	**व्यवसाय एवं पता**
वाई.टी. शाह	सचिव विद्युत विभाग ऊर्जा मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली	एस गोविन्दराज	महाप्रबंधक परियोजना इंजीनियरी प्रभाग भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटे, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
के.एल. पुरी	अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण बीकानेर हाउस शाहजहां रोड़ नई दिल्ली	वी.आर. नरसिंहन्	निदेशक केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बाक्स सं .1242 बेंगलूर -560 012

डॉ.जे.गुरुराज	वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रौद्योगिकी भवन न्यू महरौली रोड़ नई दिली		
वी. कृष्णस्वामी	वित्तीय सलाहकार विद्युत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय श्रम शक्ति भवन ,नई दिल्ली		
हरि भूषण	तकनीकी सलाहकार एवं पदेन संयुक्त निदेशक उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग उद्योग भवन, नई दिल्ली		

नियम तथा विनियम

परिभाषाएँ

1. यह नियम तथा विनियम "केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के नियम तथा विनियम" के नाम से जाना जाएगा।
2. इन नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत:-

(क) "सोसाइटी" से केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान जिसका प्रधान कार्यालय बेंगलूर में हैं तथा भोपाल हैदराबाद,कोरडी (नागपुर), नोएडा, कोलकत्ता, गुवाहाती में एककें तथा अन्य कोई भी नए यूनिट अभिप्रेत है जो इनके पश्चात् अस्तित्व में आएँगे ।

* (ख) "शासी परिषद्" से अभिप्रेत है वह निकाय जो नियम 28 के अनुसार सोसाइटी की ओर से पूरी शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

* (ग) "अध्यक्ष" से सोसाइटी का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

* (घ) "उपाध्यक्ष" से सोसाइटी का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

* (ड़.) "महानिदेशक" अर्थात् नियम 15 (क) के अंतर्गत दिए गए अनुसार सोसाइटी का प्रधान कार्यपालक अधिकारी

(च) "सचिव" अर्थात् नियम 15 (ख) के अंतर्गत दिए गए अनुसार सोसाइटी का सचिव

(छ) "वर्ष" अर्थात् ऐसा वित्त वर्ष अभिप्रेत है जो किसी वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होता है तथा उसके अगले केलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है ।

सोसाइटी का गठन

3 . सोसाइटी के सदस्यता में निम्न शामिल होंगे :-

सचिव, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय जो सोसाइटी का अध्यक्ष होगा

अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण जो सोसाइटी का उपाध्यक्ष होगा ।

शासी परिषद् के सदस्य।

सचिव (तकनीकी विकास) अथवा उसका प्रतिनिधि

राज्य विद्युत बोर्डों का अध्यक्ष अथवा तकनीकी सदस्य अथवा उनके प्रतिनिधि

अध्यक्ष, ग्राम विद्युतीकरण निगम अथवा उसका प्रतिनिधि

भारत सरकार द्वारा यथा नामित विद्युत उपस्कर के उत्पादन में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि जो सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान दे रहे हों ।

महानिदेशक , केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, जो सदस्य सचिव होंगे ।

4. सोसाइटी एक सदस्य नामावली रखेगी जिसमें उनके पते तथा व्यवसाय संबंधी सूचना होगी तथा प्रत्येक सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

5. यदि कोई सदस्य अपना पता परिवर्तित करे तो वह अपने नए पते की सूचना सचिव को देगा तथा तदनुसार सदस्य नामावली में परिवर्तन कर दिया जाएगा, लेकिन यदि वह अपने नए पते की सूचना नहीं देगा तो उसका पता वही माना जाएगा जो सदस्य नामावली में दिया हुआ है ।

---

*शासी परिषद् द्वारा अपनी 16 वीं बैठक में और सी पी आर आई सोसाइटी द्वारा 12.12.1985 को हुई अपनी दूसरी विशेष बैठक में संशोधित और भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग की दिनांक 14.2.1986 की पत्र सं.30/8/85-यूएस(टी एवं आर) में अनुमोदित।

नियुक्ति की अवधि

6. नियम 8 तथा 9 के उपबंधों के अधीन भारत सरकार द्वारा नामित सोसाइटी के सदस्य एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगें। सभी सदस्य पुन: नियुक्ति के लिए योग्य हैं । यदि तीन वर्ष की अवधि के दौरान कोई आकस्मिक रिक्ति सृजित हो जाए तो उस रिक्ति के संबंध में नियुक्त किया गया व्यक्ति उस तीन वर्ष की केवल शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

7. जहाँ कोई व्यक्ति धारण किए गए अपने पद या नियुक्ति के कारण, सोसाइटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उस पद या नियुक्ति के समाप्त होने पर सोसाइटी में उसकी स्दस्यता समाप्त हो जाएगी ।

8. भारत सरकार, सोसाइटी के पदेन सदस्यों को छोड़कर, सोसाइटी के किसी भी सदस्य की या सभी सदस्यों की सदस्यता एक ही समय में समाप्त कर सकती है । सदस्यता को इस प्रकार समाप्त किए जाने पर रिक्तियाँ इन नियमों के संगत उपबंधों के अनुसार भरी जाएंगी ।

9. सोसाइटी का कोई सदस्य उस स्थिति में सदस्य नहीं रहेगा यदि उसकी मुत्यु हो जाए, वह त्यागपत्र दे दे, विकृत चित्त हो जाए, दिवालिया हो जाए या किसी नैतिक भ्रष्टता वाले दांडिक अपराध के लिए दोषी सिद्ध कर दिया जाए अथवा अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना सोसाइटी की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे ।

10.सोसाइटी की सदस्यता से इस्तीफा सचिव के माध्यम से सोसाइटी को दिया जाएगा तथा सोसाइटी की ओर से अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने तक इसे प्रभावी नहीं माना जाएगा ।

11. नियम 8 तथा 9 में दिए गए किसी भी कारण से सोसाइटी की सदस्यता में हुई कोई रिक्ति भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष के अनुरोध पर भरी जाए ।

12. इस बात के बावजूद कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पद के कारण सोसाइटी का सदस्य होने का हकदार है, उस समय सोसाइटी का सदस्य नहीं है और नियुक्ति न किए जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से किसी रिक्ति के बावजूद सोसाइटी अपना कार्य करती रहेगी और सोसाइटी का कोई भी कार्य अथवा उसकी कोई भी कार्यवाही

उपर्युक्त घटनाओं के घटित होने अथवा इसके किसी सदस्य की नियुक्ति में दोष होने के कारण मात्र अमान्य नहीं होगी ।

13. यदि सोसाइटी का कोई सदस्य सोसाइटी की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तथा उस बैठक के लिए अपनी एवज में किसी व्यक्ति को नामित करे तो उस बैठक का अध्यक्ष अपने विवेकानुसार, अनुपस्थित सदस्य की ओर से सोसाइटी की बैठक के लिए नामित किए गए एवजी व्यक्ति को भाग लेने की अनुमति दे सकता है। इस एवजी व्यक्ति को वे सभी अधिकार, तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो उस सोसाइटी के किसी सदस्य को प्राप्त हैं तथा उस एवजी व्यक्ति को उस बैठक में वोट डालने का अधिकार भी होगा ।

<u>सोसाइटी के प्राधिकारी</u>

14. सोसाइटी के प्राधिकारी निम्नलिखित व्यक्ति होंगे : -

i) शासी परिषद्

ii) सोसाइटी का अध्यक्ष / उपाध्यक्ष

iii) महानिदेशक , केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान

iv) सचिव

<u>सोसाइटी के अधिकारी</u>

15. क) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक सोसाइटी के प्रधान कार्यपालक अधिकारी होंगे।

ख) महानिदेशक सोसाइटी के सचिव भी होंगे तथा उन्हें, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा सहायता दी जायेगी जिन्हें सोसाइटी अपने कार्य के संतोषजनक निष्पादन के लिए आवश्यक समझे ।

<u>सोसाइटी का कार्यालय</u>

16. सोसाइटी का कार्यालय बेंगलूर, प्रो सर सी.वी. रामन रोड़, सदाशिवनगर उपडाक घर , पोसट बाक्स सं. 8066, बेंगलूर-560 080 में स्थित होगा ।

<u>सोसाइटी की कार्यवाहियाँ</u>

17. i) सोसाइटी के लिए स्थापित उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोसाइटी वार्षिक रूप से बैठक करेगी तथा शासी परिषद् को आवश्यक कदमों की सलाह देगी।

ii) सोसाइटी की वार्षिक सामान्य बैठक के लिए तारीख, समय तथा स्थान अध्यक्ष निर्धारित करेगा। इन वार्षिक बैठकों में, सोसाइटी विचार विमर्श तथा सिफारिश के लिए वार्षिक रिपोर्टों तथा वार्षिक लेखों के मसौदे प्रस्तुत करेगी । उसके पश्चात् वह रिपोर्ट ऐसे संशोधनों के साथ, जो उचित समझे जाएं सोसाइटी द्वारा स्वीकार कर पारित की जाएगी ।

iii) इन नियमों के प्रावधानों के सिवाय, सोसाइटी की सभी बैठकें सचिव के हस्ताक्षर से नोटिस द्वारा बुलाई जाएंगी ।

18. अध्यक्ष जब भी ठीक समझे, सोसाइटी की विशेष बैठक बुला सकता है।

19. सोसाइटी की बैठक बुलाने की प्रत्येक नोटिस में बैठक की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना दी जानी चाहिए तथा बैठक के लिए नियत किए गए दिन से कम से कम इक्कीस दिन पहले इसकी सूचना सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को दी जानी चाहिए ।

20. यदि बैठक में अध्यक्ष उपस्थित न हो तो सोसाइटी का उपाध्यक्ष उसका स्थान लेगा । यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थित न हो तो सोसाइटी के सदस्य उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे ।

21. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की रिक्ति के दौरान सोसाइटी की कोई बैठक नहीं की जाएगी ।

22.सोसाइटी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्यों से सोसाइटी की प्रत्येक बैठक का कोरम बनेगा।

23. सोसाइटी की बैठकों में उठाए गए सभी विवादग्रस्त प्रश्न बहुमत से तय किए जाएँगे ।

24. सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा ।

25. मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

<u>सूचनाएँ (नोटिस)</u>

26. सोसाइटी के किसी सदस्य को व्यक्तिगत रुप से दी गई सूचना अथवा सदस्य नामावली में दर्शाया गया पता लिखकर लिफाफे में डाक से भेजी गई सूचना विधिवत् भेजी गई सूचना समझी जाएगी |

27. डाक से भेजी गई इस प्रकार की किसी सूचना के विषय में समझा जाएगा कि वह सूचना उसके अगले दिन पेश की गई है जिस दिन सूचना संबंधी पत्र, लिफाफा या रेपर डाक में डाला गया और सूचना भेजी गई है यह सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि जिस लिफाफे में वह सूचना रखी गई थी उस लिफाफे पर ठीक पता लिखा गया था और वह डाकघर में छोड़ा गया था ।

<u>शासी परिषद्</u>

28. क) सोसाइटी के कार्यों का प्रबंधन, प्रशासन , निदेशन तथा नियंत्रण शासी परिषद् द्वारा सोसाइटी के नियमों, विनिमयों तथा उपविधियों के अनुसार उप नियम (ख) के उल्लेखानुसार किया जाएगा ।

*ख) 1960 के कर्नाटक सरकार अधिनियम सं 17 के उद्देश्य के लिए सोसाइटी की शासी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे ।

1) भारत सरकार के सचिव, विद्युत मंत्रालय - अध्यक्ष

2) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण - उपाध्यक्ष

<u>सदस्य :</u>

3) @ संयुक्त सचिव / अवर सचिव (सीपीआरआई से संबंधित कार्य के प्रभारी), विद्युत मंत्रालय

4) @ आर्थिक सलाहकार / संयुक्त सचिव(सीपीआरआई से संबंधित कार्य के प्रभारी), विद्युत मंत्रालय

5) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय

6) सदस्य (विद्युत प्रणाली) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

7) सदस्य (योजना) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

8) सचिव अथवा अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से कम के न हो (सचिव द्वारा द्वारा नामित किया जाएगा, डीएसआईआर**)

9) सचिव, उद्योग मंत्रालय अथवा उसका प्रतिनिधि

10) सचिव अथवा अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से कम के न हो, अपारारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार

11) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा अधिकारी जो निदेशक- बीएचईएल के पद से कम पर पदासीन न हो (उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा)

12) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी अथवा अधिकारी जो निदेशक के पद से कम पर पदासीन न हो (विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा)

13) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा अधिकारी जो निदेशक, पॉवर ग्रिड कार्पो आफ इण्डिया लि. के पद से कम पर पदासीन न हो (विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा)

14) भारतीय इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मेनुफ्रैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष (आईईईएमए)

15)सदस्य- सचिव , सीबीआई एवं पी, नई दिल्ली

<u>सईबी के दो प्रतिनिधि</u>

16) विद्‌युत मंत्रालय द्‌वारा नामित दो राज्य विद्‌युत बोर्डो के अध्यक्ष अथवा तकनीकी सदस्य

17) विद्‌युत मंत्रालय द्‌वारा

<u>तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति</u>

18) } राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक अथवा अनुसंधान संस्थाओं से जुडे विद्‌युत अभियांतत्रिकी के क्षेत्र में

19) } तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति (विद्‌युत मंत्रालय द्‌वारा नामित) रूप से महत्वपूर्ण

20) }

21) महानिदेशक - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो **

22) महानिदेशक - सीपीआरआई - सदस्य - सचिव

---

* 02 फरवरी 2016 को आयोजित शासी परिषद्‌ की 79 वीं बैठक तथा सीपीआरआई सोसाइटी में 02 फरवरी 2016 को आयोजित विशेष सामान्य बैठक में संशोधित एवं विद्‌युत मंत्रालय से भारत सरकार की पत्र संख्या 3/4 / 2016- टीवआर दिनांक 07.04.2016 द्‌वारा अनुमोदित ।

** 17 अक्तूबर 2002(52.16) को आयोजित 52 वीं शासी परिषद्‌ की बैठक

@ 02 फरवरी 2016 को आयोजित शासी परिषद्‌ की 79 वीं बैठक तथा 02 फरवरी 2016 को आयोजित विशेष सामान्य बैठक में सीपीआरआई सोसाइटी द्‌वारा संशोधित ।

नोट: (1) पदेन सदस्यों को छोडकर, अन्य सदस्यों की कार्यावधि नामांकन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी । महानिदेशक , सीपीआरआई- सीपीआरआई की शासी परिषदद्‌य के सदस्य सचिव होंगे।

29. इस बात के बावजूद कि काई ऐसा व्यक्ति जो अपने पद के कारण शासी परिषद्‌ का सदस्य होने का हकदार है, उस समय उसका सदस्य नहीं है और नियुक्ति करने के लिए हकदार प्राधिकारी द्‌वारा युक्त न किए जाने के अथवा किसी अन्य कारण से किसी अन्य रिक्ति के बावजूद शासी परिषद्‌ अपना कार्य करती रहेगी और शासी परिषद्‌ का कोई भी कार्य अथवा उसकी कोई भी कार्यवाही उपर्युक्त घटनाओं के घटित होने अथवा किसी सदस्य की नियुक्ति में दोष होने के कारण मात्र से अन्य नहीं होगी ।

30.जो सदस्य अध्यक्ष की उचित रूप से अनुमति लिए बिना शासी परिषद्‌ की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है वह उसका सदस्य नहीं रह जाएगा ।

31.शासी परिषद्‌ की सदस्यता में कोई रिक्ति उस प्राधिकारी द्‌वारा नियुक्ति या नामनिर्देशन करके भरी जाएगी जो उक्त नियुक्ति या नामनिर्देश करने का हकदार है ।

32.शासी परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता प्रधान द्‌वारा की जाएगी । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा । उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सोसाइटी के सदस्य उपस्थित सदस्यों में से बैठक के अध्यक्ष के रूप में किसी एक सदस्य को चुनेंगे ।

33.शासी परिषद्‌ की किसी भी बैठक में शासी परिषद्‌ के व्यक्तिगत रूप में उपस्थित तीन सदस्यों कोरम बनेगा।

34.शासी परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक के संबंध में प्रत्येक सदस्य को कम से कम पूरे 15 दिन पहले नोटिस दी जाएगी ।

35.शासी परिषद् की बैठक यथा संभव अधिक से अधिक बार होगी। प्रत्येक छः महीने में शासी परिषद् की कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी ।

36.महानिदेशक़, अध्यक्ष के परामर्श से किसी भी समय शासी परिषद् की बैठक बुलाएगा ।

37* (क) शासी परिषद् के प्रत्येक सदस्य का जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है, एक वोट होगा तथा यदि किसी प्रश्न पर मतों की संख्या बराबर हो तो नियम 32 के उपबंधों के अंतर्गत अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसी सदस्य का निर्णायक मत होगा ।

* (ख) वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि को यह कहने का अधिकार होगा कि ऐसा कोई भी मामला वित्त मंत्रालय को भेजा जाए जो शासी परिषद् की वित्तीय शियों के बाहर है ।

* (ग) भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग को सौंपी गई शक्तियों के बाहर किसी वित्तीय विषय पर वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और प्रधान के बीच असंगतियों के संदर्भ में सोसाइटी, ऊर्जा मंत्रालय, (विद्युत विभाग) के माध्यम से ऊर्जा मंत्री एवं वित्त मंत्री को निर्णय के लिए प्रश्न भेज सकता है ।

38. अध्यक्ष भारत सरकार के निर्णय के लिए एवं कोई ऐसा प्रश्न भेज सकता है जो उसके मत में पर्याप्त महत्व का है और वह निर्णय सोसाइटी और उसकी शासी परिषद् के लिए बाध्यकर होगा ।

<u>शासी परिषद् के कार्य तथा इसकी शक्तियाँ</u>

39. संगम के ज्ञापन में बताए गए सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करना शासी परिषद् का कार्य होगा ।

* 40. (क) भारत सरकार द्वारा समय समय पर खर्च के संबंध में लगाई गई सीमाओं के अधीन शासी परिषद् सोसाइटी के सभी कार्यों तथा निधियों का प्रबंध करेगी तथा उसे सोसाइटी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा ।

** ख) शासी परिषद् कार्य-संचालन केलिए अपनी ऐसी शक्तियों जिन्हें वह उचित समझे इस शर्त के अधीन अध्यक्ष, महानिदेशक या सोसाइटी के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है कि इस नियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन अध्यक्ष, महानिदेशक या सोसाइटी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पुष्टि के लिए शासी परिषद् की अगली बैठक में दी जाएगी।

---

* 12.12.85 को आयोजित शासी परिषद् की 16 वीं बैठक और सी पी आर आई सोसाइटी की दूसरी विशेष सामान्य बैठक में संशोधित और भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग की दिनांक 14 .2 .1986 के पत्र सं .30 /8 /85 -यू एस (टी और आर) द्वारा अनुमोदित तथा समाविष्ट ।

* 12.12.85 को आयोजित शासी परिषद् की 16 वीं बैठक और सी पी आर आई सोसाइटी की दूसरी विशेष सामान्य बैठक केनिर्णयों के अनुसार क्रियान्वित और भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय,विद्युत विभाग की दिनांक 14 .2 .1986 के पत्र सं .30 /8 /85 -यू एस (टी और आर) द्वारा अनुमोदित ।

शासी परिषद् निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा गठित स्थायी समिति को इस शर्त के अधीन शासी परिषद् की ओर से ऐसे मामले जो अध्यक्ष, महानिदेशक या सोसाइटी के किसी भी अन्य अधिकारी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के बाहर है, की जाँच करने और निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है कि ऐसे निर्णयों की रिपोर्ट शासी परिषद् की अगली बैठक में दी जाएगी|

1. अपर निदेशक / विशेष सदस्य (सी पी आर आई से संबंधित कार्य के प्रभारी (विद्युत मंत्रालय)	अध्यक्ष
2. सदस्य (विद्युत प्रणाली) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
3. आर्थिक सलाहकार / संयुक्त सचिव (सी पी आर आई से संबंधित कार्य के प्रभारी (विद्युत मंत्रालय)	सदस्य
4. संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार विद्युत मंत्रालय	सदस्य
4. महानिदेशक, सी पी आर आई	संयोजक

*** स्थायी समिति की प्रत्यायोजित शक्तियां: 1. पदों के सृजन, सेवा मामलों आदि सहित सोसायटी की गतिविधियों से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेना बशर्ते की सूचना के लिए शासी परिषद् (@ इसकी अगली बैठक में)को रिपोर्ट कर दी जाएगी । हालाँकि, वास्तव में प्रमुख नीति से संबंधित मामलों के निर्णय के लिए केवल शासी परिषद् को सूचित किया जाना चाहिए । अन्य सभी मामलों के संबंध में समिति द्वारा लिए गए निर्णय को शासी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय माने जाएंगे।

@ i) समरूप संगठनों की तुलना में सेवा मामले जैसे कर्मचारी शिकायत, आचरण, अनुशासन और वेतनमान और पदोन्नति के अवसर में विसंगतियाँ आदि।

ii) विद्युत पर अनुसंधान योजना के तहत संस्तुत परियोजना

iii) अनु व वि योजना के अंतर्गत अनुमोदन के लिए संस्तुत परियोजनाओं के संबंध में अनुसंधान पर कार्य समिति की सिफारिशें।

iv) कार्य और प्रमाणन पर कार्य समिति की सिफारिशें

v) शासी परिषद / अध्यक्ष / महानिदेशक का कोई अन्य मामला , समय समय पर देखें

स्थायी समिति कागजात के परिचालन द्वारा तत्काल मामले का फैसला कर सकती है तथा ऐसी मंजूरी को स्थायी समिति की मंजूरी माना जाएगा।

41. शासी परिषद् भारत सरकार के अनुमोदन से, सोसाइटी के कार्यों के प्रशासन तथा प्रबंध के लिए ऐसी उपविधियाँ बनाने, उनमें संशोधन करने अथवा उनका निरसन करने के लिए सक्षम है जो इन नियमों से संगत न हो |

*42.क) इन नियमों तथा उपविधियों के अधीन, शासी परिषद् सोसाइटी का कार्य संचालित करने के लिए महानिदेशक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के पद सृजित करने बजट व्यवस्था के अनुसार उनकी पारिश्रमिक की राशि नियत करने तथा उनके कर्तव्य निर्धारित करने के लिए सक्षम है | शासी परिषद् सोसाइटी की सभी कार्मिक नीतियों जिसमें स्वास्थ्य, अनुशासन, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों से संबंधित विषय भी शामिल है, बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम होगी |

**ख) उपनियम के प्रावधान बावजूद (क) समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम वेतन मान से आगे पदों के सृजन के लिए भारत सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा।

** ग) उपनियम (क) व उपनियम (ख) के अंतर्गत पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा समय समय पर पदों के सृजन के रोक संबंधी आदेशों के अधीन होंगे |

**42.क) शासी परिषद् को पूरे वित्तीय अधिकार सौंपे जाएंगे जो इन नियमों से असंगत नहीं होंगे | यह इस शर्त के अधीन हैं कि सभी वित्तीय मामले वित्तीय शाखा की छान-बीन के बाद ही शासी परिषद् को प्रस्तुत किए जाएँगे और वित्तीय मामलों पर कोई भी निर्णय प्रशासन मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग/वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा |

---

* 12.12.85 को आयोजित शासी परिषद् की 16 वीं बैठक और सी पी आर आई सोसाइटी की दूसरी विशेष सामान्य बैठक में संशोधित और भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग की दिनांक 14 .2 .1986 के पत्र सं .30 /8 /85 -यू एस (टी और आर) द्वारा अनुमोदित ।

** 12.12.85 को आयोजित शासी परिषद् की 16 वीं बैठक और सी पी आर आई सोसाइटी की दूसरी विशेष सामान्य बैठक के निर्णयों के अनुसार समाविष्ट और भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग की दिनांक 14 .2 .1986 के पत्र सं .30 /8 /85 -यू एस (टी और आर) द्वारा अनुमोदित ।

*** 10 नवम्बर 1980 (7.30) को 7 वीं शासी परिषद् की बैठक आयोजित की गई।

@ 17 अक्तूबर 2002(52.14) को 52 वीं शासी परिषद् की बैठक आयोजित की गई।